संख्या: 29/2017/1112/35-1-2017-7-270/ज.नि.प्र./2016

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **03** नवम्बर, 2017

विषय: 'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल' तथा 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति' के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में क्रियान्वित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) से आच्छादित योजनाओं का अनुश्रवण तथा नवीन योजनाओं को डी0बी0टी0 के अन्तर्गत लाने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने, प्रदेश में डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वन स्टाप प्वाइन्ट के रूप में कार्य तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से नियोजन विभाग के अन्तर्गत 'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल' का गठन निम्नानुसार किया जाता है जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन 'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल' के हेड तथा राज्य डी0बी0टी0 कोआर्डीनेटर होंगे जिनके अधीन प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय कार्यों हेतु तीन कोआर्डीनेटर्स को निम्नानुसार नामित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल

1. हेड, उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल तथा राज्य डी0बी0टी0 कोआर्डीनेटर- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रशासनिक कोआर्डीनेटर- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
3. तकनीकी कोआर्डीनेटर- हेड, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
4. वित्तीय कोआर्डीनेटर- निदेशक, कोषागार, वित्त विभाग, उ0प्र0।

उपरोक्त के अतिरिक्त आधार परियोजना से सम्बन्धित कार्यों हेतु सहायक महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, एन0आई0सी0 से सम्बन्धित कार्यों हेतु तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0, बैंकों से सम्बन्धित कार्यों हेतु मुख्य प्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0), उ0प्र0 तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी0एफ0एम0एस0) से सम्बन्धित

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यों हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी, पी0एफ0एम0एस0- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल में नामित किया जाता है।

प्रदेश में डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों के सफल संचालन तथा उच्च स्तरीय अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति' निम्नानुसार गठित की जाती है:-

<u>राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति</u>

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन – अध्यक्ष।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/ हेड, उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल तथा राज्य डी0बी0टी0 कोआर्डीनेटर- सदस्य।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन- सदस्य।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य।
5. डी0बी0टी0 योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव– सदस्य।
6. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ – सदस्य।
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 – सदस्य।
8. महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0), उ0प्र0 – सदस्य।
9. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 एवं प्रशासनिक कोआर्डीनेटर, उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल – सदस्य सचिव।

नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में डी0बी0टी0 के सफल संचालन हेतु डी0बी0टी0 एवं आधार सेल के तकनीकी कोआर्डीनेटर, वित्तीय कोआर्डीनेटर, स्टेट नोडल आफीसर, पी0एफ0एम0एस0- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, उ0प्र0, जनगणना निदेशालय, उ0प्र0, नेशनल पेमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, टेलीकाम सेवा प्रदाता के प्रतिनिधियों को भी राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति की बैठकों में आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेगा। इस समिति की बैठक सुविधानुसार नियमित अन्तराल पर आयोजित की जायेगी।

राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति के मुख्य कार्य राज्य में डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना के क्रियान्वयन का उच्च स्तरीय अनुश्रवण एवं नीतिगत कार्यों पर निर्णय लेना तथा उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल को परामर्श एवं वैचारिक नेतृत्व प्रदान करना होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल के मुख्य कार्य।

1. केन्द्र सरकार एवं मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा दिये गये डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना से सम्बन्धित निर्देशों को राज्य के सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करना।
2. राज्य डी0बी0टी0 कोआर्डीनेटर राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति के सहयोग एवं केन्द्र सरकार/मंत्रालयों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित विभागों को योजनाओं में डी0बी0टी0 के कार्यान्वयन हेतु निर्देशित करेंगे।
3. विभिन्न योजनाओं को डी0बी0टी0 से आच्छादित करने के लिये योजनाओं के चिन्हींकरण हेतु कार्यवाही किया जाना।
4. धनराशि (फण्ड) एवं सूचना के सरल प्रवाह हेतु योजनाओं की यथा आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना करना।
5. योजनाओं से सम्बन्धित ऑनलाइन/लाइव मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम्स (एम0आई0एस0) पोर्टल तथा उपयुक्त इनफारमेशन एण्ड कम्युनिकेशन्स टेक्नालाजी (आई0सी0टी0) अप्लीकेशन्स के निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना।
6. राज्य के सम्बन्धित विभागों/जनपदों के डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना से सम्बन्धित संकेतकों की प्रगति का गहनता से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
7. योजनाओं के लाभ वितरण को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों को समाहित करना।

उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल में प्रशासनिक कोआर्डीनेटर (निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उ0प्र0) के कार्य।

1. राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति की बैठकों का आयोजन करना।
2. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित केन्द्र सरकार, केन्द्र पुरोनिधानित एवं राज्य सरकार की योजनाओं को डी0बी0टी0 से आच्छादित करने हेतु विभागों का मन्तव्य प्राप्त कर योजनाओं का चिन्हींकरण किया जाना।
3. योजनाओं के लाभार्थियों के डिजिटाइज्ड डाटाबेस/लाइव एम0आई0एस0 पोर्टल में लाभार्थियों का बैंक खाता संख्या, आधार संख्या तथा मोबाइल नम्बर को अंकित किये जाने हेतु जनपदों एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर अद्यतन स्थिति का अनुश्रवण किया जाना।
4. तकनीकी सहयोग टीम द्वारा निर्मित/विकसित आई0सी0टी0 अप्लीकेशन्स का सम्बन्धित विभागों के माध्यम से कार्यान्वयन करना।
5. सम्बन्धित विभागों, जनपदों एवं तकनीकी सहयोग टीम से डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना से सम्बन्धित सूचनायें यथा- आधार नामांकन, लाभार्थियों की संख्या, सक्रिय बैंक खातों की संख्या, आधार सीडिंग आदि की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का अनुश्रवण तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन कर केन्द्र सरकार को नियमित रूप से अवगत कराना।
6. प्रदेश में स्टेट रजिस्ट्रार्स तथा नान-स्टेट रजिस्ट्रार्स द्वारा किये जा रहे आधार नामांकन की प्रगति का अनुश्रवण करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि हेतु सेमिनारों का आयोजन करना।
8. डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्यों की आदर्श पद्धतियों/कार्यों का अध्ययन/अनुभव प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों/जनपदों के अधिकारियों के भ्रमण का आयोजन करना।
9. विभिन्न विभागों के माध्यम से डी0बी0टी0 से सम्बन्धित इनोवेशन हेतु समन्वय किया जाना।

उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल में तकनीकी कोआर्डीनेटर (हेड, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0) के कार्य।

1. डी0बी0टी0 योजनाओं हेतु ऑनलाइन/लाइव मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम्स (एम0आई0एस0) पोर्टल का निर्माण, संशोधन एवं रख-रखाव किया जाना।
2. डी0बी0टी0 से सम्बन्धित सूचनाओं को लाइव एम0आई0एस0 पोर्टल में दर्ज करना।
3. डी0बी0टी0 से सम्बन्धित योजनाओं/विभागों के अनुरूप इनफारमेशन एण्ड कम्युनिकेशन्स टेक्नालाजी (आई0सी0टी0) अप्लीकेशन्स का निर्माण करना।
4. डी0बी0टी0 एवं आधार परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित समस्त कार्यों यथा- लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया का संचालन आदि हेतु सहयोग प्रदान किया जाना।
5. आई0टी0 से सम्बन्धित समस्त भागीदारों यथा- एन0आई0सी0, थर्ड पार्टी कन्सल्टेंट, टेलीकाम सेवा प्रदाता आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल में वित्तीय कोआर्डीनेटर (निदेशक, कोषागार, वित्त विभाग, उ0प्र0) के कार्य।

1. विभिन्न योजनाओं में राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ई0-एफ0एम0एस0) के अन्तर्गत समस्त वित्तीय ट्रांजेक्शन्स को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी0एफ0एम0एस0) से लिंक करना।
2. बजट एवं धनराशि (फण्ड) के प्रवाह से सम्बन्धित कार्यवाही करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0), उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के सभी गांवों से निकटतम बैंकों की दूरी की मैपिंग का कार्य किया जायेगा।

'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 सेल' तथा 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 अनुश्रवण समिति' के गठन से सम्बन्धित नियोजन अनुभाग-1 के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 20/2016/541/35-1-2016-7-270/ज0नि0प्र0/2016 दिनांक 22 जून, 2016 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:29/2017/1112(1)/35-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव (सी0एण्डपी0जी0), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
2. संयुक्त सचिव (डी0बी0टी0), डी0बी0टी0 मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल, शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी, राजीव चौक, नई दिल्ली-110001
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली, अपर आयुक्त, ई0पी0एफ0ओ0, कानपुर।
7. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0।
9. उपमहानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
11. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
12. निदेशक, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, उ0प्र0।
13. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
14. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0।
15. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0।
16. स्टेट नोडल आफीसर, पी0एफ0एम0एस0- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ।
17. हेड, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
18. महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in